प्ररूप–एक

(नियम –11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 202504052900006

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचनाः–

क्र. / 11312 / भू–अर्जन / 2026 कोरबा, दिनांक 21/09/2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियतम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थातः–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	हरदीबाजार	हरदीबाजार	0.345 हे.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26/10/2026 को समय प्रातः 11:00 बजे से स्थान ग्राम हरदीबाजार पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

01.	लोक प्रयोजन का संक्षित विवरण	:–	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी.
02.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:–	03 परिवार
03.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या		03 परिवार
04.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:–	निरंक
05.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:–	निरंक
06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	:–	हॉ
07.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	:–	हॉ
08.	परियोजना की कुल लागत	:–	रूपये 8916.75 लाख
09.	परियोजना से होने वाले लाभ	:–	निर्माणाधीन सी.सी.मार्ग के निर्माण होने से यातायात सुगम हो जाएगा तथा हरदीबाजार मुख्य मार्ग में भारी वाहनों के डायवर्सन से नगर मुख्य मार्ग को भारी वाहनों व ट्रैफिक जाम तथा इससे होने वाली दुर्घटनाओं / जनहानी से मुक्ति मिलेगी।
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	:–	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	:–	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभाग – पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
जिला– कोरबा एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. /11313 / भू–अर्जन / 2026 कोरबा, दिनांक 21/1/2026

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
02. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन विभाग) जनसंपर्क कार्यालय रायपुर की ओर दो प्रति संलग्न कर प्रेषित् है। कृपया इसे दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
03. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
04. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित्
05. कार्यपालन अभियंता सह – सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि.अभिकरण कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर, प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली को उपलब्ध करावें।
06. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. तहसीलदार हरदीबाजार, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित् । अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
09. सचिव, ग्राम पंचायत हरदीबाजार, तहसील हरदीबाजार जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

कलेक्टर
जिला – कोरबा (छ.ग.)